



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30511

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 4032 वर्ष 2026

वीर पाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नरेंद्र कुमार पाठक, सुनील कुमार यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., कृष्ण कांत सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है:-
 - i. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित करे कि वे याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 04.05.2024 पर कार्यवाही करें और ग्राम कपरायता, तहसील व जिला एटा में स्थित गाटा संख्या 791स/0.243 हेक्टेयर और गाटा संख्या 881/0.162 हेक्टेयर के संबंध में राजस्व अभिलेखों में याचिकाकर्ता का नाम असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के स्थान पर संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर शीघ्रता से दर्ज करें।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3/ उप जिलाधिकारी, एटा, जिला एटा के समक्ष पहले ही एक प्रत्यावेदन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष नया प्रत्यावेदन दिया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को याचिकाकर्ता को आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 3/ उप जिलाधिकारी, एटा, जिला एटा के समक्ष अपने पूर्व में प्रस्तुत आवेदन और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करते हैं, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 मामले में शीघ्रता से और अधिमानतः उसके बाद छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेंगे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

11 फरवरी, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"